

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
<p>1-6-22</p>	<p>पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आल श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवाही बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं। अन्व कार्य में व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेंस पर है। अतः पत्रावली सादिक कार्यवाही हेतु दिनांक... 15.6.22 को पेश हों।</p>
<p>25-6-22</p>	<p>पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आल श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवाही बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं। अन्व कार्य में व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेंस पर है। अतः पत्रावली सादिक कार्यवाही हेतु दिनांक 21.7.22 को पेश हों।</p>
<p>21-7-22</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। पार्श्व आर्चीवता उपस्थित। पार्श्व आर्चीवता की एक एप्लीकेशन सुनी गई। पार्श्व आर्चीवता ने पार्श्वना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दीखा गया। पत्रावली का अफिलोडन किया गया। पार्श्व का पार्श्वना-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय सूचक से दीखा गया। पत्रावली फैसल शुमार खेसर संलग्न मूल पर रहे।</p> <p style="text-align: center;"> <b>उपखण्ड अधिकारी बाबरी (दुबई)</b> </p> <p style="text-align: center;">①</p> <p style="text-align: center;"> <u>निर्णय</u>      दिनांक 21-7-2022         </p> <p>             पार्श्व ने पार्श्वना-पत्र प्रस्तुत कर फैसल किया कि शर्ता स. 17 नवी पुरानी 8। जमाबन्दी शर्ता 2072 से 2075 में वाकिल शर्ता खिता- 5 योग रकम 1.14 रु         </p>

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

एव श्वाता सं. 78 नयी पुशनी 81 जमान  
सम्मत 2072 से 2075 में वार्डर कुल  
शपसरा खिता 21 योग रकम 8107 एडर  
वाके ग्राम कैमल्या तहसील इन्डगा में स्थित  
है जिसके राजस्व रिमांड में मृतक धापू  
पाली सुरज्या हिस्सा 45 जार मीणा सा.  
देह श्वातेदार के रूप में दर्ज चला आ  
रहा है श्वातेदार मृतक धापू पाली सुरज्या  
पार्श्व की 2 गोद माता है मृतक धापू की  
सुलभी पुत्रीयों द्वारा माता धापूबाई के पक्ष  
में एक व्याग किया जा चुका है जीतने  
के बाद धापू वेश सुरज्या का सकुल श्वाते में  
हिस्सा 45 लीट है पार्श्व को राजेश्वर  
गोदनामा दिनांक 25-9-1999 से गोद लिया  
गया जिसकी पार पत्रावली पर उपलब्ध है  
राजेश्वर गोद-पत्र से साबित होता है कि  
पार्श्व को गोद लिया गया। सुरज्या  
का सतुलन भी पार्श्व के पक्ष में प्रतीत  
होता है बाद विचारण में समय लगने  
की सम्भावना व बाद बादसरा बढने  
की सम्भावना को मद्देनजर रखते  
हुए न्यायादेत में पार्श्व का प्राचीन  
पत्र स्वीकार किया जाया डीचेर  
प्रतीत होता है.

अतः पार्श्व का प्राचीन पत्र  
स्वीकार किया जाता है. पारवडी सं-3  
को अस्थायी निषेधाज्ञा से बाध  
किया जाता है कि ताफेसला मूलवाद  
विवाहित आराजी नवरा सं. 17 नई पुशनी 81  
81 ~~24/24~~

तारीख  
हुकम

③

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

कुल खसरा कित्ता - 5 योग रकवा 1.14 बीघर  
एव खाला सं० 78 नई पुराना 81 बीघर  
कुल खसरा कित्ता 21 योग रकवा 8.07  
ईश्वर बाके गाम कैमल्या पट्टार  
दुष्का पापडा तहसील इन्द्रगढ में स्थित  
कृषी भूमि में मृतक धापू के सुस्थ  
का नीट्टर हिस्से 45 बीघर  
एव रिमांड की अस्थास्थिति बनाये  
रखे। पञ्चवली कैमला सुमार दोमेरे  
सलग्न मूल वाड रहे।

उपरोक्त अधिकारी  
बाबरी (कृषी)